10/11/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 17/11/25 को पेश हो।	
17.11.25	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या- 4 से 5 के वकील उपस्थित। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी के खेत सटे सटे आये हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेत की सीमाओं पर पुराने मेड़ एवं कोठे बने हुए थे, जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेपबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी के नेपबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेपबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गि.डा. को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधीनस्थ भू.अ. निरीक्षक [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपबंदी/मेड़ पर कमीशन शुल्क जमा करवाकर करें। आदेश आज से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे/ पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आवेदक कोमल कुमार [illegible], दर्ज रजिस्टर [illegible], दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ. / 2025 / 698

दिनांक : 17.11.25

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
खेताराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सऊओं का वास, हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।		रतनाराम पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी सऊओं का वास, हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 52 / 2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सऊओं की वास पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 163 / 150, 164 / 150 रकबा क्रमशः 4.4758, 0.3237 हैक्टेयर व मौजा हीरा की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 419 / 139 रकबा 8.7088 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 1000 / —जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : रा.आ. / 2025 / 699—704

दिनांक : 17.11.25

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. भु—अभिलेख निरक्षक हीरा की ढाणी ।
3. पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर [illegible]
4. प्रार्थी खेताराम पुत्र जैसाराम वगैरा 02
5. विप्रार्थी रतनाराम पुत्र पीथाराम वगैरा 28
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

19. मीरा देवी पत्नि तगाराम